

15
6

अपील क्रमांक 172/बो.प्र./नि.स./2022
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /05/2022

अपील प्रकरण क्रमांक 172/बो.प्र./नि.सहा./2022

अपीलार्थी
श्री एस. एक्का,
म. नं.-17, शिवा रेसीडेन्सी,
मठपुरैना, पोस्ट सुन्दरनगर,
रायपुर (छ.ग.)
पिनकोड -492013,
मो.नं.-7987066051

विरुद्ध

उत्तरवादी
श्री ए.के. साय,
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय
प्रमुख अभियंता, जल संसाधन
विभाग,
नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 17.05.2022

1. अपीलार्थी श्री एस. एक्का उपस्थित।
2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।
3. श्री रमेश देवांगन, सहायक ग्रेड-2, स्थापना शाखा 331-332, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर उपस्थित।
4. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) में सहायक अभियंता सिविल से कार्यपालन अभियंता सिविल के पद पर वर्ष 2022 में पदोन्नति हेतु कार्यपालन अभियंता के रिक्त पदों की गणना पत्रक तथा विचारण क्षेत्र में आने वाले सहायक अभियंताओं की सत्यापित छायाप्रति प्राप्त करने के लिए दिनांक 08.03.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया था। जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी में से केवल विचारण क्षेत्र में आने वाले सहायक अभियंताओं की सूची उपलब्ध करायी गई है। रिक्त पदों की गणना पत्रक उपलब्ध नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी श्री एस. एक्का ने दिनांक 05.05.2022 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक 05.05.2022 को प्राप्त हुआ।
5. अपीलार्थी श्री एस.एक्का ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मांगी गई जानकारी में से मुझे गणना पत्रक नहीं मिला है। बाकी जानकारी मुझे प्राप्त हो चुकी है और अपीलार्थी ने संतुष्टि प्रगट की।
6. श्री रमेश देवांगन, सहायक ग्रेड-2, स्थापना शाखा 331-332, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर का पक्ष सुना गया। उन्होंने बताया कि सभी जानकारी जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है। परन्तु गणना पत्रक उस समय अनुमोदित नहीं होने के कारण वह जानकारी नहीं दी गई। किन्तु वह अनुमोदित हो गई है एवं उक्त गणना पत्रक को जनसूचना अधिकारी को प्रदाय किया गया।

7. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय का पक्ष सुना गया। उन्होंने बताया कि स्थापना शाखा से प्राप्त सभी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। परंतु गणना पत्रक उस समय अनुमोदित नहीं था। इसलिए वह जानकारी नहीं दी गई। किन्तु अब वह अनुमोदित हो गई एवं उक्त गणना पत्रक मुझे प्राप्त हो गई है। इसलिए वह जानकारी आज दिनांक 17.05.2022 को सुनवाई के दौरान अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी को दी जा रही है और अपीलार्थी उससे संतुष्ट है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये जानकारी से अपीलार्थी द्वारा संतुष्टि प्रगट की। इस आशय के साथ प्रकरण निराकृत किया गया।


सही/-
(वीरेन्द्र तिवारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./172/बो.प्र./नि.स./2022/4454

रायपुर, दिनांक 17/05/2022

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री एस. एक्का,म. नं.-17, शिवा रेसीडेन्सी, मठपुरैना, पोस्ट सुन्दरनगर, रायपुर (छ.ग.) पिनकोड -492013, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(वीरेन्द्र तिवारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)